

अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• श्रीकिशन उर्फ हरिकिशन पुत्र श्रवण, जाति बलाई उम्र 52 साल निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज. ।
-प्रार्थीगण

बनाम

• हरिराम पुत्र श्रवण जाति बलाई, निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य ।
-अप्रार्थीगण ।



किरम मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 28 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 17

वकील प्रार्थी:- योगेश शर्मा

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
25.06.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	
05/7/24	<p>पत्रावली पेश करी वकील प्रार्थी अनुपमि र / वकील प्रार्थी को आमरण लगे तक सकारात्मक कारकीर्द सादर आवाज लगावारी गई किन्तु वे अनुपमि रहें हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर आदेश 09 किपम 03 CPC के तहत अज्ञातपरी कर्तव्य में स्थापित किम आता है पत्रावली पेश करी हुकम (नमूने के कम लगे) </p>	